

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 334]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2015/माघ 21, 1936

No. 334]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2015 /MAGHA 21, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2015

**का.आ. 424 (अ).**-- केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का 17) की धारा 133 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्तु संव्यवहार कर नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्तु संव्यवहार कर (पहला संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये 1 राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वस्तु संव्यवहार कर नियम, 2013 में, उप-नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"3. कृषि वस्तुएं--अधिनियम की धारा 116 के खंड (7) के प्रयोजनों के लिए, कृषि-वस्तुएं निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :-

- (i) बादाम
- (ii) जौ
- (iii) इलाइची
- (iv) एरंड बीज
- (v) चना
- (vi) खोपरा
- (vii) धनिया
- (viii) कपास
- (ix) ग्वार बीज

- (x) इस्वगुल बीज  
 (xi) जीरा  
 (xii) कपास  
 (xiii) मक्का भुट्टा  
 (xiv) मिर्च  
 (xv) आलू  
 (xvi) तोरिया बीज/सरसों बीज  
 (xvii) कच्चा जूट  
 (xviii) लाल मिर्च  
 (xix) सोयाबीन  
 (xx) सोया पसीन  
 (xxi) हल्दी  
 (xxii) गेहूं  
 (xxiii) सौंफ  
 (xxiv) अरहर चुनी  
 (xxv) बाजरा  
 (xxvi) सुपारी  
 (xxvii) सेलारी सीड  
 (xxviii) चारा या बरसीम (जिनके अंतर्गत चारा बीज या बरसीम बीज भी है)  
 (xxix) दालचीनी  
 (xxx) लौंग  
 (xxxii) कपास फली  
 (xxxiii) बिनौला  
 (xxxiv) अदरक  
 (xxxv) चना दाल  
 (xxxvi) चना छिलका  
 (xxxvii) मूंगफली  
 (xxxviii) ज्वार  
 (xxxix) कुल्थी  
 (xl) लाह  
 (xli) अलसी  
 (xlii) मसूर  
 (xliii) मैथी  
 (xliv) मोठ  
 (xlv) मूंग  
 (xlvi) मूंग चुनी  
 (xlvii) मूंग दाल  
 (xlviii) जायफल  
 (xlix) प्याज  
 (l) मटर  
 (li) रागी  
 (lii) चावल भूसी  
 (liii) चावल या धान

- (liii) कुसुम
- (liv) सीडलैक
- (lv) तिल (तिल या जिलजिल्ली)
- (lvi) छोटा बाजरा (कोदन कुल्थी, कोदरा, कोर्रा, वर्गू, सवां, राला, काकुन, समई, वारी और बंटी)
- (lvii) कुसुम बीज
- (lviii) तुअर (अरहर)
- (lix) तुअर दाल (अरहर दाल)
- (lx) उड़द (दली)
- (lxi) उड़द दाल ।"

[अधिसूचना सं. 13/2015, फा.सं.142/09/2013-टीपीएल]

गौरव कनौजिया, निदेशक

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 19 जून, 2013 में अधिसूचना सं.का.आ. 1769(अ), तारीख 19 जून, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।